न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

इजराय वाद सं0–05/2017

15.05.2023

उभय पक्ष की हाजिरी है। डिक्रीदार द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–09.05.2019 को अंतर्गत आदेश 21 नियम 24 सिविल प्रक्रिया संहिता को प्रचालित किया गया जिसमें डिक्रीदार का कथन है कि उसके द्वारा आदेश 21 नियम 22 का अनुपालन सभी निर्णीत ऋणीओं पर कर दिया गया है। कारणपृच्छा नोटिस जारी होने के पश्चात निर्णीत ऋणी सं0–4 डी, 4 एफ, 5 से 8 तथा 23 उपस्थित है परंतु उन्होंने अपना कोई जाबव नहीं दिया है। अतः आदेश 22 नियम 24 के अंतर्गत प्रोसेस जारी करने की कृपा की जाए।

निर्णीत ऋणी सं0–5 से 8 के द्वारा उक्त आवेदन का जाबव देते हुए कहा है कि डिक्रीदार का उक्त आवेदन विधितः मान्य नहीं है। डिक्रीदार को किसी प्रकार का हक भी नहीं है। वादग्रस्त निर्णय एवं डिक्री को माननीय उच्च न्यायालय पटना में द्वितीय अपील सं0–136/2016 में चैलेंज किया गया है जो विचाराधीन है और डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए सुनवाई हेतु नियत है। अतः द्वितीय अपील के निष्पादन तक विवादग्रस्त डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही को रोक दिया जाए अन्यथा अपील का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।

डिक्रीदार के उक्त आवेदन का निर्णीत ऋणी सं0–23 के द्वारा भी प्रतिउत्तर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मौजूदा निष्पादन ओवदन आदेश 21 नियम 11(2) के प्रिंटेड फॉर्म के अनुसार नहीं दिया गया है इसलिए निष्पादन वाद खारिज करने योग्य है। यह इजराय वाद आदेश 21 नियम 16 के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। डिक्रीदार को इजराय वाद दाखिल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त डिक्री के संबंध में निर्णीत ऋणी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सिविल मिसलेनियस अपील नंबर–2012/2017 दाखिल की गयी है जो अभी लंबित है। मूल अपील सं0–41/1979 जो खारिज हो चुकी है उसके विरूद्ध निर्णीत ऋणी ने द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय, पटना में AS-14-2016 दाखिल की है जो लंबित है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में द्वितीय अपील सं0–AS-14-2016 एवं विविध अपील सं0–2012/2017 के लंबित रहते उक्त इजराय वाद चलने योग्य नहीं है। अतः मौजूदा इजराय वाद को खर्च के साथ खारिज किया जाए।

डिक्रीदार के आवेदन एवं निर्णीत ऋणी द्वारा दिये गये प्रतिउत्तरों पर डिक्रीदार एवं निर्णीत ऋणीओं के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि निर्णीत ऋणी मात्र डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए विभिन्न आधारों पर अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत कर निष्पादन कार्यवाही को रोकना चाहते हैं जबकि निर्णीत ऋणी को न्यायालय के द्वारा 2009 से आज दिनांक–15.05.2023 तक का लम्बा समय अपीलीय न्यायालय का आदेश लाने हेतु दिया जा चुका है और मात्र इस आधार पर कि विवादग्रस्त डिक्री की द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित है जिनमें इस न्यायालय को डिक्री के निष्पादन को रोकने का कोई आदेश आज तक पारित नहीं किया गया है और अधिक समय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। निर्णीत ऋणीयों द्वारा लिए गए अन्य आधार प्रक्रियात्म है जो या तो सुधारे जा चुके हैं या किसी भी चरण में सुधार योग्य है जिसमें ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके द्वारा डिक्री का निष्पादन विधितः वाधित होता है। अतः डिक्रीदार के उक्त आवेदन दिनांक–09.05.2019 को स्वीकृत किया जाता है एवं कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि डिक्री निष्पादन हेतु आदेश 22 नियम 24 के अंतर्गत प्रोसेस जारी करे।

वाद दिनांक–22.05.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

मुंसिफ, डुमरॉव